an>

Title: Need for single window clearance to facilitate approval of projects.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रोजेक्ट डिले के बारे में बोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से प्रोजेक्ट जल्दी हो सकते हैं। उन्होंने वन एवं पर्यावरण अनुमति के सरलीकरण की बात कही और कुछ प्रकल्प के लिए छूट भी दी। इसी से उत्साहित होकर ही मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं विशेषकर लीनियर प्रोजेक्ट, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ और रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। जिस दिन प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, प्रकल्प अधिकारी चक्रव्यूह में फंस जाता है। कैसे? क्योंकि वन और पर्यावरण मंत्रालय, इरीगेशन मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, तहसीलदार, लैंड एक्वीजिशन अफसर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, म्युनिसिपिलिटी, इलैक्ट्रिकल और टेलीफोन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इस तरह से इसे मुजरिम बना दिया जाता है और हर कोई पूछता है कि प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे क्योंकि क्लियरेंस लिए बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बेचारा प्रोजेक्ट क्या करेगा? वह हर किसी के पास दौड़ता रहता है, इससे क्लियरेंस लो, उससे क्लियरेंस लो। कई जगह तो ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, और सालों तक पड़ा रहता है। मैं रेलवे लाइन का नाम नहीं लूंगा, सैंक्शन को 15 साल हो गए लेकिन अभी तक फोरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली है। एक टुकड़ा जमीन को सरकार ने पहले गवर्नमेंट लैंड के हिसाब से रेलवे को ट्रांसफर कर दिया। अभी कुछ महीने पहले बताया गया कि यह सरकारी जमीन नहीं जंगल है इसलिए पहले फोरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लीजिए। इसमें ये सब दिक्कते हैं और फारेस्ट क्लियरेंस का जो पहले नियम था, उसमें एक नई चीज डीजीपीएस सर्वे कराने की और डाल दी। डीजीपीएस सर्वे का मतलब है कि सैटेलाइट से सर्वे करके प्रोजैक्ट अथारिटी को प्रमाणित करना है कि यहां जंगल है या नहीं है। उसी प्रोजैक्ट में जब डीजीपीएस सर्वे किया और जिस एरिया को ये लोग अपने कागजों में जंगल या जमीन बतला रहे हैं, वह डीजीपीएस सर्वे में दीख नहीं रहा है। फिर वे संबंधित डीएफओ को लेकर रेलवे अथारिटी गये, वहां डीएफओ ढूंढ रहा है कि जंगल कहां है। क्योंकि वहां एक भी पेड़ नहीं था। कागज में जंगल है और उसकी क्लियरेंस लेने में इतने साल लग रहे हैं। डीजीपीएस सर्वे कराने से भी फाइनली क्या होता है कि वहां कितने पेड़ हैं, यह आपको गिनना पड़ता है। जैसे एक बार आपने प्रोजैक्ट का एलाइनमैन्ट फिक्स कर दिया, सबको पता है कि इस दिशा में कितनी दूरी और चौड़ाई है। एक बार जब डिमार्केशन हो गया तो डिमार्केशन होने के बाद हर डिपार्टमैन्ट को पता होना चाहिए कि उसमें रेलवे लाइन बनाने के लिए इलैक्ट्रिसिटी का क्रासिंग, टेलिफोन लाइन का क्रासिंग, कोई इरिगेशन कैनाल या जो भी चीजें हैं, सभी को पता है कि उसमें ये-ये चीजें आती हैं। फिर ऐसा क्यों न करे कि वही विभाग उसे अधिग्रहण करके हमें दे। अन्यथा प्रोजैक्ट इसी में फंसा रहेगा कि हर किसी के पास दौड़ता रहे, फाइनली होता क्या है बहुत सारे काम हो गये, लेकिन रेलवे लाइन ऐसी चीज है कि सब कुछ बन गया, अगर एक इंच बीच में रह गया, एक इंच टुकड़ा भी रह गया तो आप उसे कमीशन नहीं कर सकते।

महोदय, इसमें मेरा सुझाव है कि डीजीपीएस सर्वे वाली चीज हटा दें और आज के दिन फारेस्ट की क्लियरेंस के लिए पांच हैक्टेअर से ज्यादा होने पर सैंट्रल गवर्नमैन्ट में जाना पड़ता है। उसे बढ़ाकर पचास हैक्टेअर कर दें और जो क्लियरेंस है, कंसर्न्ड डिपार्टमैन्ट सुओ मोटो अपना दे न कि प्रोजैक्ट अथारिटी को जबरदस्ती करे कि आप ही को देना है। यही शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।